राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 77 / 06–07

विषयः– डॉ0 भूपेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम+पोस्ट–शिवगंज, जिला–आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पूर्ण तथ्यों एवं कागजातों सहित सुनवाई हेतु बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा का आवेदन देखा गया। इनके अनुरोध के अनुरूप दिनांक–04.01.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई के लिए रखा गया।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे। आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर से दिनांक 20.01.07 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय एवं सुनवाई हेतु दिनांक 25.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

25.01.2007 वादी उपस्थित हैं। श्री राजकिशोर प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी–सह–वाणिज्य कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, भोजपुर का मंतव्य प्राप्त हैं जिसके तहत उन्होंने धारा–8(घ) एवं धारा–8(छ) के तहत सूचना देने से इन्कार किया है और कहा है कि सूचना में वाणिज्यिक गुप्तता, व्यापार गोपनीयता शामिल है, अतः प्रकट नहीं किया जा सकता है, जब तक ऐसा किया जाना विशालतम लोक हित में न हो। धारा–8(छ) के प्रावधानानुसार ऐसी सूचना जिसमें व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा के लिये खतरनाक सिद्ध हो, को प्रकट नहीं किया जा सकता है। अपने मंतव्य में उन्होंने आगे कहा कि व्यवसायियों एवं व्यापारियों को आये दिन दंगाई, भयादोहन तथा अपराध का सामना करना पड़ रहा है। अतः इनके आर्थिक स्थिति से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8(घ) एवं 8(छ) के अवलोकन से इसके द्वारा गोपनीयता भंग होने का विशेषाधिकार आयोग को मान्य नहीं है क्योंकि इस धारा को पढ़ने से वादी द्वारा मांगी गयी सूचना में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती हैं, जो व्यक्ति विशेष के जीवन या व्यापार के गोपनीयता पर कहीं भी असर डालता हो। अगर रोड परमिट दिया गया हो तो वह एक पब्लिक डकुमेंट हैं और रोड परमिट एवं वाणिज्य–कर, की जानकारी पाने का अधिकार हरेक नागरिक को हैं। अतः उनके द्वारा मंतव्य में उठायी गयी आपत्ति निराधार है। आयोग निर्देश देता है कि वादी द्वारा मांगी गयी सूचना उन्हें अविलम्ब प्रदान की जाय और अगली तिथि 20.02.2007 को आयोग को सूचित किया जाये कि आयोग का निर्देश का पालन कर दिया गया है, अन्यथा उस दिन आयोग श्री राजकिशोर प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी–सह–वाणिज्य कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, भोजपुर (आरा) को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय लेगा।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

20.02.2007 आवेदक अनुपस्थित है। लोक सूचना पदाधिकारी, अपील–सह–सहायक वाणिज्य कर आयुक्त शाहाबाद अंचल आरा एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, आरा उपस्थित हैं। जहां तक वाद संख्या 77 का संबंध है, लोक सूचना पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पीछले आदेश के तहत इन्होंने सूचना प्रदान कर दी हैं पर उन्होंने वाद का निपटारे के लिए एक अन्य तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की है, जिससे सभी बातों को आयोग के समक्ष रखी जा सके। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, आरा, इस बात को स्पष्ट करें की किन–किन सूचनाओं को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है या वादी को क्यों नहीं सूचना दी जानी है। सहायक आयुक्त अपना मंतव्य 12.03.2007 तक आयोग के समक्ष दाखिल करें। सुनवाई की अगली तिथि 15.03.2007 को प्रातः 10.30 बजे निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

12.04.2007 आवेदक अनुपस्थित हैं।

लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय–सह–वाणिज्यकर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल आरा भी अनुपस्थित हैं लेकिन उनके प्रतिनिधि ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर कुछ दलील रखी है और वे दलीलें पेश करना चाहतें हैं। अतः इस वाद की सुनवाई की अगली तिथि 08.05.2007 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाए।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त

08.05.2007 आवेदक उपस्थित हैं। केस संख्या 73 एवं 77 दोनों को एक साथ सुना। आवेदक का कहना है कि विभाग द्वारा मांगी गयी सूचना उन्हें मिल गयी है और वे संतुष्ट हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त